

2019/00300

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर  
प्रकरण संख्या 152/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र )  
श्रीमती गोठी देवी पत्नी स्व. श्री भगवान सहाय निवासी प्रतापपुरा, ग्राम पंचायत मनोहरपुर, तहसील  
शाहपुरा जिला जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय श्री पुरुषोत्तम शर्मा आर ए एस
2. जिला परिषद जयपुर जरिये प्रभारी अधिकारी श्री भगवान सहाय मीणा पंचायत प्रसार अधिकारी  
जिला जयपुर ।
3. ग्राम पंचायत मनोहरपुरा जरिये सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत मनोहरपुर पंचायत समिति शाहपुरा  
जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण



मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के  
संक्षेप विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 ब उनवानी जिला परिषद जयपुर  
बनाम ग्राम पंचायत मनोहरपुरा व अन्य को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने ।

उपस्थित:-

1. श्री हरिनारायण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री खेमचन्द शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 14-11-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 2 ने प्रार्थी के विरुद्ध एक  
निगरानी पेश की है । अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जो निगरानी पेश की गई है वो न्यायालय के  
क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 को उक्त निगरानी सुनने का क्षेत्राधिकार प्राप्त  
नहीं है। वादग्रस्त सम्पत्ति ग्राम पंचायत मनोहरपुर में स्थित होने से उक्त निगरानी को सुनने का  
क्षेत्राधिकार अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली जिला जयपुर में निहित है। प्रार्थी द्वारा  
उपरोक्त तथ्य अप्रार्थी संख्या 1 को बताये गये थे, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 उक्त निगरानी में विपक्षी  
की तामील होने के बाद उक्त प्रकरण में 4-4 दिन की तारीख पेशी देकर उक्त प्रकरण का  
शीघ्रताशीघ्र निस्तारण करना चाहता है जिससे प्रार्थी को अप्रार्थी संख्या 1 से न्याय की कोई  
उम्मीद नहीं है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में  
मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर  
जयपुर द्वितीय से बिन्दुवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से श्री खेमचन्द शर्मा  
अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई ।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

जिला कलक्टर  
जयपुर

4. उभयपक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
5. इस न्यायालय द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय को प्रकरण में सुनवाई हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्धान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। वादग्रस्त सम्पत्ति अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के सुनवाई क्षेत्राधिकार की है। जिसमें इस प्रकरण को स्थानान्तरित किया जा सकता है। परिणामतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।
6. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 02/2019 ब उनवानी जिला परिषद जयपुर बनाम ग्राम पंचायत मनोहरपुर व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली में मुन्तकिल किया जाता है। अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली प्रकरण का मैरिट एवं गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
7. निर्णय की प्रति पालनार्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो। निर्णय आज दिनांक 14-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।



(जगरूप सिंह यादव)  
जिला कलक्टर  
जयपुर